

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/5635

दिनांक: 02/12/2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत) राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 - निर्वाचक नामावली हेतु कार्यक्रम में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ:-आयोग का पत्रांक 4651 दिनांक 04.11.2019

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कार्यक्रम एवं विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए थे। प्रेषित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 04.12.2019 को होना निर्धारित है। निर्वाचक नामावली की तैयारी हेतु दि. 29.11.19 को आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयोग द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 04.12.2019 को निर्वाचक नामावलियों को प्रारूप प्रकाशन करने हेतु सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए थे।

इसी क्रम में पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 01.12.2019 एवं 3118 दिनांक 01.12.2019 के द्वारा क्रमशः ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का फिर से नवसृजन/पुनर्गठन किया गया है। उक्त नवसृजन/पुनर्गठन के कार्य से प्रभावित पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन उक्त दिनांक को किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं होगा।

अतः इस संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की जो पंचायत समितियां/ग्राम पंचायतें राज्य सरकार की उक्त अधिसूचनाओं से पूर्णतया अप्रभावित हैं, उनके लिए निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन आयोग के संदर्भित पत्र के अनुसार दिनांक 04.12.2019 को ही किया जाकर ऐसी पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों की सूची आयोग को दिनांक 04.12.2019 को ही प्रेषित की जाए।

इसी क्रम में यह भी निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.12.2019 को जारी उक्त अधिसूचनाओं के द्वारा फिर से किए गए परिसीमन से प्रभावित पंचायत समितिवार ग्राम पंचायतों की सूची भी आयोग को दिनांक 03.12.2019 तक आवश्यक रूप से भिजवाना भी सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव